कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0, नैनीताल ।

ई–निविदा सूचना

कैलाश मानसरोवर यात्रा/आदि कैलाश यात्रा 2018 में जाने वाले यात्रियों हेतु टूअर एवं ट्रैवल एजेन्सी,निजी वाहन स्वामियों से यातायात व्यवस्था हेतु एसी/नौन एसी बडे वाहन जैसे–40 सीटर/30 सीटर/27 सीटर लैक्जरी पुस बैक सीट बस, टैम्पो ट्रैवलर इत्यादि तथा छोटे वाहन जैसे–वैगनार, टवेरा एवं इनोवा तथा यात्रियों की सामान ढुलान हेतु छोटे ट्रक की आवश्यकता है जिस हेतु दिनांक 14 मई 2018 प्रातः 11 बजे तक उत्तराखण्ड ई–निविदा पोर्टल/वेबसाइड uktenders.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित की जाती है, जो कि उसी दिन अपरान्हन 1 बजे आन–लाईन खोली जायेंगी ।

निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क रू0 3000/– + जी0एस0टी0 निगम मुख्यालय में नगद अथवा एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से निगम के खाते में भी जमा किया जा सकता है । निविदा से सम्बन्धित नियम एवं शर्ते निगम की वेबसाइड www.kmvn.gov.in तथा उत्तराखण्ड ई–टेन्डरिंग वेबसाइड uktenders.gov.in में देखी जा सकती है । प्रबन्ध निदेशक अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि को किसी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

प्रबन्ध निदेशक

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0,नैनीताल,उत्तराखण्ड सरकार का प्रतिष्ठान
कैलाश–मानसरोवर यात्रा/आदि कैलाश यात्रा 2018 यातायात व्यवस्था हेतु निविदा

कैलाश मानसरोवर यात्रा/आदि कैलाश यात्रा 2018 में जाने वाले यात्रियों हेतु टूअर एवं ट्रैवल एजेन्सी,निजी वाहन स्वामियों से यातायात व्यवस्था हेतु एसी/नौन एसी बडे वाहन जैसे–40 सीट/27 सीटर 2X2 लैक्जरी (पुस बैक सीट) बस, टैम्पो ट्रैवलर, इत्यादि तथा छोटे वाहन जैसे–वैगनार, टवेरा एवं इनोवा तथा यात्रियों की सामान ढुलान हेतु छोटे ट्रक की आवश्यकता है, जिस हेतु उत्तराखण्ड ई–निविदा पोर्टल/वेबसाइड uktenders.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है।

आवेदन फार्म का प्रारूप एवं नियम एवं शर्तेः–

फार्म का विकय मूल्य–रू0 3000+जी0एस0टी0 अतिरिक्त
टैण्डर प्रकाशन की तिथि– 2.5.2018 प्रातः 10.00 बजे
टैण्डर फार्म डाउनलोड करने की प्रारम्भिक तिथि– 02.5.2018 प्रातः 11.00 बजे
प्री–बिड मीटिंग की तिथि–7.5.2018 अपरान्ह 1.00 बजे
आन–लाईन बिड अपलोड करने की प्रारम्भिक तिथि– 7.5.2018 सायं – 5 बजे
आन–लाईन बिड अपलोड करने की अन्तिम तिथि– 14.5.2018 प्रातः –11 बजे
आन–लाईन टैण्डर खोले जाने की तिथि–14.5.2018 अपरान्ह 1.00 बजे

नियम एवं शर्तेः–

1– निविदादाता द्वारा ई–टैण्डर फार्म को uktenders.gov.in से डाउनलोड करने के पश्चात निविदा के सभी वांछित प्रपत्रों सहित ऑन–लाईन जमा करना होगा । ई–निविदा के माध्यम से निविदा आवेदन पर हुये समस्त व्यय निविदादाता द्वारा स्वंय वहन किये जायेंगे। ई –टेन्डरिंग प्रकिया के अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रेषित निविदा मान्य नहीं होगी।

2– निविदा प्रपत्र की धनराशि रू0 3000+जी0एस0टी0 अतिरिक्त निगम के मुख्यालय, कार्यालय कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0, कारपार्किंग,सूखाताल में नकद अथवा एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से निगम खाते में जमा की जानी होगी। निविदा शुल्क ऑनलाईन भुगतान हेतु निगम के खाते का विवरण निम्नानुसार हैः–

Name of the Bank – Syndicate Bank
A/c No. - 87423070000122
A/c Type – Current Account
IFS Code – SYNB0008742
Beneficiciary Name – Kumaon Mandal Vikas Nigam ltd.
Branch – Nainital Branch

निविदा फार्म धनराशि की नकद जमा रसीद या एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से निगम खाते में जमा की रसीद तकनीकी भाग के साथ स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड किया जाना आवश्यक होगा । निविदा प्रपत्र का मूल्य किसी भी दशा में वापस नही होगा ।

3– धरोहर राशि रू0 1,00,000.00 (रू0 एक लाख मात्र) का बैक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 जो प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के नाम बन्धक हो, निविदा के तकनीकी भाग के साथ ऑनलाइन स्कैन कर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा । धरोहर राशि एन0ई0एफ0टी के माध्यम से ऑनलाइन निगम के खाते में भी जमा की जा सकती है, जिस हेतु निगम के खाते का विवरण निम्न प्रकार है –

Name of the Bank – Syndicate Bank
A/c No. - 87423070000122
A/c Type – Current Account

IFS Code – SYNB0008742
Beneficiciary Name – Kumaon Mandal Vikas Nigam ltd.
Branch – Nainital Branch

धरोहर राशि का बैक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 अथवा एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से खाते में जमा की रसीद तकनीकी भाग के साथ स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड किया जाना आवश्यक होगा ।

4 निविदादाता को आय कर प्रमाण पत्र (PAN CARD) की प्रति निविदा के तकनीकी भाग के साथ स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड किया जाना आवश्यक होगा ।

5– निविदादाता को जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र की प्रति निविदा के तकनीकी भाग के साथ स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड किया जाना आवश्यक होगा ।

6– निविदा से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी निविदादाता दिनांक 07.5.2018 को अपरान्हन 1 बजे निगम मुख्यालय, नैनीताल में प्रीबिड मीटिंग में प्रतिभागकर प्राप्त कर सकता है।

7– जिन निविदादाता की आन–लाईन प्रथम भाग/तकनीकी निविदा स्वीकार कर ली जायेगी उन निविदादाता का द्वितीय भाग/वित्तीय निविदा (BOQ) ई–टैण्डरिंग हेतु गठित समिति द्वारा ऑन–लाईन खोली जायेंगी। उक्त तिथि को अवकाश होने पर निविदा अगली कार्य तिथि को खोली जायेगी ।

8– निविदादाता को प्रथम भाग/तकनीकी निविदा की सभी औपचारिकताऐं पूर्ण करनी होगी । प्रथम भाग (तकनीकी निविदा) में मांगी गई औपचारिताऐं पूर्ण न होने पर निविदा को निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा ऐसी स्थिति में निविदाकार का द्वितीय भाग (वित्तीय निविदा)(BOQ) नही खोली जायेगी ।

9– निगम के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा टुअर्स आयोजित करने की सूचना प्राप्त करने पर निविदादाता पर्यटकों को संचालित टूअर्स में ले जाने की व्यवस्था करेगा ।

10– वर्ष 2014 के पहले के वाहन मान्य नही होगे । वाहन आराम देय, नवीन साज सज्जा युक्त हों ।

11– टेण्डरदाता को न्यूनतम दो बसों के रजिस्ट्रेशन प्रपत्र जिसमें टेण्डरदाता अथवा उनकी फर्म के स्वामित्व का प्रमाण हो, निविदा के तकनीकी भाग के साथ स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड किया जाना आवश्यक होगा । उक्त के अतिरिक्त टेण्डरदाता को बसों के भीतरी–बाहरी भाग के रंगीन फोटोग्रफ्स भी प्रथम भाग (तकनीकी निविदा) के साथ स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा ।

12– निविदादाता द्वारा रंगीन फोटोग्रफ्स में दो सीटों के मध्य का Leg Space तथा Boot Space स्पष्ट रूप से दर्शित करना होगा ।

13– टेण्डरदाताओं की बसो में Leg Space तथा Boot Space अधिक व आरामदायक वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी ।

14– संचालित भ्रमणों में जाने से पूर्व निविदादाता भ्रमण में जाने वाले बसों/टैम्पो ट्रैवलर इत्यादि का विवरण पृथक से निगम के पर्वत टूअर, कार्यालय तल्लीताल, नैनीताल में प्रस्तुत करेगा । जैसे– ड्राइवर का नाम व पता, बस एवं टैक्सी का रजिस्ट्रेशन नं0 आदि और उसके द्वारा दी गई ऐसी समस्त सूचनाओं के लिये वह स्वंय उत्तरदायी होगा तथा भ्रमण आरम्भ करने से पूर्व यदि वह अतिरिक्त बसों/टैक्सियों आदि का उपयोग करता है,तो उसकी विधिवत सूचना भी उपरोक्त अपेक्षित विवरण के साथ निविदादाता, निगम के पर्वत टूअर, तल्लीताल, नैनीताल कार्यालय में, भ्रमण आरम्भ करने से पूर्व देगा।

15– निगम के कार्यालय से जो भी कैलाश मानसरोवर एवं आदि कैलाश हेतु टूअर्स ले जाये जायेंगे, उनमें निविदादाता द्वारा पूरे स्थानों का नियत टूअर कार्यक्रमानुसार सुचारू रूप से भ्रमण कराया जायेगा व निगम द्वारा इस निमित्त बनाये गये समस्त नियमों का पालन किया जायेगा व पूर्व निर्धारित टूअर्स के अतिरिक्त बस/टैक्सी बिना निगम की अनुमति के अन्यत्र कही नहीं ले जायी जायेगी तथा एसी तथा नॉन एसी बस/टैक्सी निगम द्वारा निर्धारित दरों पर ही उपलब्ध करवायी जायेगी ।

16– टूअर के सफल संचालन के पश्चात् ही स्वीकृत दरों के आधार पर निगम द्वारा निविदादाता को भुगतान किया जायेगा तथा भुगतान प्रबन्धक, पर्वत टूअर द्वारा टूअर सत्यापित किये जाने पर ही होगा । सामान्यतः भुगतान बिल प्राप्त होने

के 15 दिन के भीतर कर दिया जायेगा, किन्तु किसी कारणवश भुगतान में विलम्ब होने पर निविदादाता कोई ब्याज या प्रतिकर का अधिकारी नहीं होगा ।

17– टुअर के दौरान कभी भी वाहन (बस/टैक्सी) में तकनीकी खराबी होने पर कैलाश/आदि कैलाश पैकेज के पर्यटकों को निविदादाता द्वारा समान स्तर व सुविधापूर्ण अन्य वाहनों की व्यवस्था कर सम्पूर्ण पर्यटक स्थानों पर निश्चित समय में भ्रमण कराया जायेगा एवं इस निमित्त निविदादाता द्वारा नियत नियमों तथा समय का सम्पूर्ण पालन किया जायेगा, जिससे निगम की छवि खराब न हो, जिसका व्यय भार निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा निगम किसी अतिरिक्त व्यय के लिये उत्तरदायी नहीं होगा ।

18– निविदादाता द्वारा जो भी ड्राइवर/स्टाफ पर्यटकों के साथ संचालित भ्रमण पर भेजा जायेगा, उसके भोजन/आवास की व्यवस्था निगम द्वारा नहीं की जायेगी तथा उसका व्यवहार पर्यटकों हेतु अच्छा होगा तथा वह किसी प्रकार के नशे का सेवन टुअर के दौरान नहीं करेगा ।

19– यात्रा समाप्त होने के पश्चात् निविदादाता को निगम के पर्वत टुअर्स कार्यालय, तल्लीताल, नैनीताल पर यात्रा समाप्ति की रिपोर्ट देनी होगी । तत्पश्चात् ही उपरोक्त टुअर का भुगतान किया जायेगा ।

20– यह अनुबन्ध दिनॉक 01 जून, 2018 से 05 माह तक अर्थात् दिनॉक 31 अक्टूबर, 2018 तक वैध रहेगा । सेवायें अनुकूल न देने पर निगम किसी भी समय इस अनुबन्ध को एक सप्ताह का लिखित नोटिस देकर समाप्त कर सकता है ।

21– जिस व्यक्ति या संस्था के नाम वाहनों हेतु टेण्डरदाता की निविदा स्वीकृत हो, उसे इसके उपरान्त जमानत राशि रू0 3.00 लाख (तीन लाख रूपये मात्र) की एफ0डी0आर0 जो प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के नाम बन्धक होगी जमा करनी होगी तथा अनुबन्ध सम्पादित किया जाना होगा । यदि किसी अन्य टेण्डरदाता जिसकी निविदा ट्रक हेतु ही स्वीकृत होती है तो टेण्डरदाता को जमानत के रूप में रू0 2.00 लाख (दो लाख रूपये मात्र) की एफ0डी0आर0 जो प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के नाम बन्धक होगी जमा करनी होगी तथा तद्नुसार अनुबन्ध सम्पादित किया जायेगा ।

22– जमानत राशि यात्रा समाप्ति के एक माह बाद वापस की जायेगी । न्यूनतम निविदादाता की निविदा स्वीकृत होने पर कार्य न करने की दशा में / अनुबन्ध में हस्ताक्षर न करने की दशा में उनकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी ।

23– यदि किसी यात्री पर्यटक द्वारा सफल निविदादाता के विरूद्ध लिखित शिकायत प्राप्त होती है तथा जॉचोपरान्त सही पायी गयी, तो निगम वर्तमान अनुबन्ध बिना किसी पूर्व नोटिस के निरस्त करने तथा उसके जमानत की राशि जब्त करने का अधिकारी होगा और इस स्थिति में निविदादाता निगम से कोई क्षतिपूर्ति पाने या निगम के विरूद्ध अन्य कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं होगा ।

24– यात्रा में लगायी जाने वाले बसों के चालक/परिचालक को ड्रेस मे होना अनिवार्य है ।

25– इस अनुबन्ध के अन्तर्गत टुअर्स के दौरान किसी भी प्रकार की क्षति चाहें वह वाहन को या टुअर में जाने वाले पर्यटकों को या किसी स्टाफ या अन्य व्यक्ति को, उसके लिये निविदादाता ही पूर्णतया उत्तदायी होगा और निगम किसी प्रकार का उत्तदायी नहीं होगा ।

26– निगम द्वारा निविदादाता को भुगतान की जाने वाले धनराशि में से आवश्यक/नियमानुसार आयकर व आवश्यक सर्विस चार्जेज/कटौती इत्यादि करके ही भुगतान किया जायेगा ।

27– यदि निविदादाता के पास निगम की मॉग के अनुसार वाहन उपलब्ध नहीं हो पाते और ऐसी स्थिति में निविदादाता किसी अन्य पक्ष से बस/टैक्सी लेकर निगम को उपलब्ध करवायेगा, तो निगम ऐसी बाहरी पक्ष को सीधे भुगतान आवश्यक/नियमानुसार आयकर व आवश्यक सर्विस चार्जेज/टैक्स इत्यादि कटौती करने के लिये स्वतंत्र होगा ।

28– इस अनुबन्ध के अन्तर्गत संचालित टुअर्स के सम्बन्ध में राज्य सरकार या अन्य किसी विधिक प्राधिकारी या निगम द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों, नियमों, विनियमों तथा मोटर वाहन से सम्बन्धित कानूनों का निविदादाता द्वारा सदैव अनुपालन किया जायेगा ।

29– वाहनों के टूअर बिल दल के साथ नियुक्त गाईड से प्राप्त प्रमाण–पत्र के आधार पर यात्राधिकारी अपनी संस्तुति सहित वाहन प्रभारी, प्रबन्धक पर्वत टूअर, तल्लीताल, नैनीताल को भेजे जायेगे । वाहन प्रभारी बिलों की जांच कर बिल

भुगतान हेतु लेखाकार, कैलाश मानसरोवर यात्रा को भेजेंगे। लेखाकार यात्रा बिलों की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक महोदय से प्राप्त कर भुगतान की कार्यवाही करेगे ।

30– बसों का सत्यापन वरिष्ठ प्रबन्धक, पर्वत टूअर्स तल्लीताल, नैनीताल द्वारा किया जायेगा तथा निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा यात्रा प्रारम्भ होने से अन्त तक किसी भी समय यात्रा अवधि में निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनों का निरीक्षण किया जायेगा ।

31– वाहनों के सम्बन्ध में यात्रियों/गाइडों से किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने की दशा में बिल की 50 प्रतिशत राशि कटौती की जा सकती है ।

32– यदि कैलाश मानसरोवर/आदि कैलाश यात्रा के वर्तमान निर्धारित मार्ग को किसी कारणवश परिवर्तित किया जाता है तो परिवर्तित मार्ग में भी निविदादाता द्वारा कार्य करने में सहमत होगा तथा परिवर्तित मार्ग हेतु दी गई दरें ही प्रभावी होंगी ।

33– निविदादाता द्वारा ऑनलाइन बिड खोले जाने से पूर्व स्वयं अथवा किसी प्रतिनिधि के माध्यम से ई–निविदा के तकनीकी भाग के साथ ऑनलाइन अपलोड किये गये सभी प्रपत्र (SCHEDULE-A) क्रम सं0 1 से 7 तक निगम मुख्यालय कारपार्किंग सूखाताल, नैनीताल में सीलबन्द लिफाफे में मूल में उपलब्ध कराने होंगे ।

34– इस अनुबन्ध के कियान्वयन या इसकी शर्तो के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद होने पर निगम के प्रबन्ध निदेशक को इन विवाद के बिन्दुओं को संदर्भित किया जायेगा जिनका निर्णय अन्तिम तथा पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा । निगम के प्रबन्ध निदेशक इस हेतु आर्बिटेटर होंगे।

35– किसी भी प्रकार के विवाद होने पर आर्विट्रेशन में मामला नहीं निपटने पर जाने पर उसका न्यायिक क्षेत्र नैनीताल होगा।

36– उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य शर्तो का उल्लेख अनुबन्ध मे उल्लिखित किया जायेगा ।

37– वाहनो के वर्गीकरण का विवरण निविदा के वित्तीय भाग में वर्णित है।

कैलाश मानसरोवर यात्रा/आदि कैलाश यात्रा, 2018 हेतु निम्न प्रकार से यातायात व्यवस्था की जानी होगीः–

क) कैलाश–मानसरोवर यात्रा 2018 के यात्रियों हेतु काठगोदाम से धारचूला वाया अल्मोड़ा (रात्रि विश्राम, अल्मोड़ा), बाड़ेछीना, धौलछीना, शेराधाट, राईआगर, बेरीनाग, उडियारी बैण्ड, थल, मिर्थी, ओगला, जौलजीवी, धारचूला तथा वापसी में धारचूला से काठगोदाम वाया जौलजीवी, ओगला, पिथौरागढ़, धाट, जागेश्वर (रात्रि विश्राम, जागेश्वर) बाड़ेछीना, अल्मोड़ा, खैरना, काठगोदाम (आना–जाना) यात्रा व्यवस्था ।

अथवा

कैलाश–मानसरोवर यात्रा 2018 के यात्रियों हेतु काठगोदाम से पिथौरागढ़ वाया अल्मोड़ा (रात्रि विश्राम,)दन्या, घाट, पिथौरागढ एवं वापसी पिथौरागढ़ से घाट, दन्या, जागेश्वर (रात्रि विश्राम, जागेश्वर) से काठगोदाम (वाया अल्मोड़ा) आना जाना यातायात व्यवस्था ।

ख) कैलाश–मानसरोवर यात्रा 2018 के यात्रियों के सामान ढुलान हेतु दिल्ली से काठगोदाम तथा काठगोदाम से धारचूला एवं वापसी धारचूला से काठगोदाम तथा काठगोदाम से दिल्ली हेतु छोटे ट्रक की व्यवस्था ।

अथवा

कैलाश–मानसरोवर यात्रा 2018 के यात्रियों के सामान ढुलान हेतु दिल्ली से काठगोदाम तथा काठगोदाम से पिथौरागढ़ एवं वापसी पिथौरागढ़ से काठगोदाम तथा काठगोदाम से दिल्ली हेतु छोटे ट्रक की व्यवस्था ।

ग) आदि कैलाश यात्रा के यात्रियों हेतु दिल्ली से काठगोदाम से धारचूला वाया अल्मोड़ा (रात्रि विश्राम, अल्मोड़ा), शेराघाट, पाताल भुवनेश्वर, डीडीहाट, धारचूला वापसी धारचूला, पिथौरागढ, घाट, जागेश्वर,(रात्रि विश्राम जागेश्वर) अल्मोडा, खैरना, काठगोदाम से दिल्ली आना–जाना यातायात व्यवस्था ।

———— 0 ————

SCHEDULE-A
प्रथम भाग–तकनीकी निविदा

1–निविदादाता का नाम श्री/श्रीमती/कु0. . . . .

2–निविदादाता के पिता /पति का नाम श्री . . . .

3–निवास का पता . . . .

4–पत्राचार का पता. . . . .

5 निविदादाता का सम्पर्क नम्बर . . . . मोबाईल नम्बर . . . .

6–पेन नम्बर . . . . जी0एस0टी0नम्बर. . . . .

7–धरोहर राशि हेतु ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 संख्या. . . . . धनराशि. . . . . दिनांक . . . .
जारी करने वाले बैक का नाम . . . .

निविदादाता को निम्नांकित प्रमाण–पत्र की स्कैन प्रति तकनीकी निविदा के साथ आन–लाईन अपलोड करनी अनिवार्य होगीः–

1. बसों (न्यूनतम 2 बसों के स्वामित्व के प्रपत्र) एवं ट्रक के रजिस्ट्रेशन पेपरों की प्रति।
2. बसों एवं ट्रक की रंगीन फोटोग्राफ ।
3. फार्म क्रय की रसीद/आन–लाईन भुगतान की रसीद की प्रति ।
4. धरोहर राशि के ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम सें भुगतान की रसीद की स्कैन प्रति ।
5. जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र की प्रति ।
6. पैनकार्ड की प्रति।
7. तकनीकी निविदा प्रथम भाग (SCHEDULE-A)

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम
पता